महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या:43/2019/3131जेएल/22-3-19-24जी/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3-समस्त सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0।
4-समस्त जिला प्राबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
5-समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2019***

विषय- कारागारों में बंदियों की ओवर क्राउडिंग की समस्या के निदान हेतु प्रत्येक जनपद में गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-24/2019/1410जेएल/22-3-18-24जी/2015, दिनांक 13-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका (सिविल) संख्या-406/2013, (INHUMAN CONDITIONS IN 1382 PRISIONS) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-10-2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है, जिसमें विचाराधीन बंदियों के मामलों का निस्तारण किये जाने हेतु गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक के संबंध में विस्तृत एवं स्वत: स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। अतएव उक्त एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure) के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-24/2019/1410जेएल/22-3-18-24जी/2015, दिनांक 13-02-2019 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3- इसके अतिरिक्त अनु सचिव (PR&ATC), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-V-17014/4/2013-PR, दिनांक 18-02-2019 एवं उससे संलग्न राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure) को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद स्तरीय अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की नियमित बैठक कर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure) के अनुसार विचाराधीन बंदियों के मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या:43/2019/3131जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिबन्धक, मा0 उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली।
2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- अनु सचिव(PR&ATC), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-V-17014/4/2013-PR, दिनांक 18-02-2019 के संदर्भ में।
4- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, 12/11, जाम नगर हाउस, नई दिल्ली।
5- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त मा0 जिला जज, उ0प्र0।
7- मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in